तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टीए / 4500 / 2006 / हनुमानगढ़ चन्दूसिंह बनाम सरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-12-2020	**खण्डपीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री आर0एस0 बराड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थी। — **आदेश** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील सं0 38 / 2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 19–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी केलासिंह उर्फ करनेलसिंह पुत्र रामप्रताप ने एक राजस्व वाद घोषणात्मक एवं चिर निषेधाज्ञा का उप जिलाधीश, सूरतगढ़ के न्यायालय में अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण, तरतीबी प्रत्यर्थीगण सं0 4 व 5 के साथ राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। दौराने वाद वादी केलासिंह उर्फ करनेल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 23–12–2000 को हो जाने के बाद प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 ने एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3–9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश कर वाद में उन्हें रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने उक्त प्रा0 पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रा0 पत्र अवधि बाहर पेश किया गया है तथा प्रा0 पत्र में जो कारण अंकित किए गए हैं, वह असत्य है। प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 को वाद के न्यायालय में जैरकार होने की पूर्व में जानकारी थी। अतः प्रा0 पत्र निरस्त किया जावें। पीलीबंगा में सहायक कलक्टर न्यायालय खुल जाने के कारण प्रकरण वहां पर अंतरित कर दिया गया। बाद सुनवाई सहायक कलक्टर, पीलीबंगा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2002 द्वारा निर्धारित समय में वारिसान को पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने से वाद का उपशमन होना मानते हुए वाद पत्र को जरिये अबेटमेंट खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–06–2006 द्वारा 500 / – रू0 के अर्थदण्ड के साथ स्वीकार किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टीए / 4500 / 2006 / हनुमानगढ़ चन्दूसिंह बनाम सरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रन्न होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। 3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अन्तर्गत अपील द्वारा वाद में हुए उपशमन को निरस्त कर प्रार्थना पत्र 500 / – रू0 अर्थदण्ड पर स्वीकार किया हैं। आदेश 22 नियम 3 सपठित 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रावधानों में अर्थदण्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के प्रावधान नहीं हैं व ना ही राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रावधानों के विपरीत जाकर अर्थदण्ड के आधार पर प्रा0 पत्र स्वीकार करने का अधिकार है। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 ने आदेश 22 नियम 3 सपठित 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्पष्टतया मियाद बाहर पेश किया था तथा प्रा0 पत्र में जो कारण प्रा0 पत्र अन्दर मियाद शुमार किए जाने हेतु दर्शाए गए वे मनगढन्त व असत्य थे। उनका यह भी तर्क था कि उन्होंने प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 को वाद की जानकारी होने का तथ्य साक्ष्य से साबित कर दिया था तथा यह भी साबित किया था कि सरजीतकौर बेवा केलासिंह द्वारा दिनांक 09–11–2000 को अपना अगूँठा लगाकर वाद के अहकामे की प्रमाणित प्रतिलिपि ली है तथा इसी प्रकार दिनांक 10–11–2000 को प्रा0 पत्र के साथ तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष वाद के जैरकार होने की सूचना विन्दरपाल कौर द्वारा दी गई, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा यह कथन किया जाना कि उन्हें वाद की जानकारी पूर्व में नहीं थी, मिथ्या है। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 का वाद अबेट हो चुका था व विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए व न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ना तो प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया व न ही केलासिंह के वारिसान को रिकार्ड पर अपील में लिया एव ंन ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को स्वीकार किया। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय न्याय, नियम व अभिलेख के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर उसे निरस्त किया जावें। 5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय विधिक दृष्टि से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टीए / 4500 / 2006 / हनुमानगढ़ चन्दूसिंह बनाम सरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित है, क्योंकि आर0बी0जे0 (11) 2004 पेज 168 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण में शामिल करने के लिए 90 दिन की अवधि प्राप्त है। इस अवधि में पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो वाद का उपशमन स्वतः हो जाता है। उपशमन हो जाने के 60 दिन के भीतर, उपशमन निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया जा सकता है। इस प्रकार कुल 150 दिन की अवधि उपचार के लिए उपलब्ध है, जिसके अधीन प्रत्यर्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ अपील न्यायालय ने विवेकाधिकार का उपयोग कर 500/– रू0 कॉस्ट पर स्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने ए0आई02004 पेज 5106, डी0एन0जे0 2008 (3) पेज 1223, आर0बी0जे0 2005 पेज 646, डी0एन0जे0 2017 (1) पेज 276, आर0बी0जे0 2005 पेज 523 व आर0बी0जे0 2004 पेज 165 के न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए तर्क दिया कि केवल तकनीकी आधारों पर किसी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं माना गया है । अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। 6– हमने योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– यह निर्विवाद है कि वादी केलासिंह की मृत्यु दिनांक 23–12–2000 को हुई थी और इसके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18–05–2001 को पेश किया गया था। यह सही है कि वादी की मृत्यु के 90 दिन बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 पेश किया गया है। यदि यह माना भी लिया जाए कि मृत्यु दिनांक से 90 दिन पश्चात् वाद का उपशमन हो गया था किन्तु उपशमन निरस्तीकरण हेतु इस दिनांक से 60 दिन की अवधि में यदि प्रा0 पत्र पेश किया जाता है तो उपशमन का आदेश निरस्त करने हेतु प्रा0 पत्र अन्दर मियाद ही माना जाएगा जैसा कि आर0बी0जे0 (11) 2004 पेज 165 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। हमारी सुविचारित राय में उपशमन निरस्त कर वारिसान को अभिलेख पर लिए जाने हेतु प्रा0 पत्र जो प्रस्तुत किया गया है, वह 146 दिन में प्रस्तुत किया गया है जो मियाद के अंदर ही माना जायेगा। इसीलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। यहां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / टीए / 4500 / 2006 / हनुमानगढ़ चन्दूसिंह बनाम सरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मात्र तनकीकी आधारों पर किसी पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाना न्याय की मंशा नहीं है और यदि किसी पक्षकार द्वारा न्यायिक प्रावधानों की पूर्ति जानकारी के आधार पर कर दी जाती है तो मात्र कुछ दिनों के विलम्ब के कारण वाद को निष्प्रभावी घोषित किया जाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी0पी0सी0 500 / – रू0 कॉस्ट पर स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है। 8– उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–06–2006 यथावत रखा जाता है। 9– पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ श्रवण कुमार बुनकर) सदस्य** **(हरिशंकर गोयल) सदस्य**	